ग्रामीण तथा शहरी छात्र-छात्राओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध-निर्देशिका
डॉ.अल्पना शर्मा
(सहायक आचार्य)

शोध छात्रा
रेणु वेदी
(अपेक्स यूनिवर्सिटी ,जयपुर)

प्रस्तावना:-

शिक्षा का संबंध मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से है। शिक्षा ही बालक की सुप्त शक्तियों को जागृत कर उसे नई चेतना प्रदान करती है। यह बालक में आत्मविश्वास और आत्म सम्मान को बढ़ाती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी पाशविक शक्तियों का दमन कर कल्याणकारी मार्ग की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखता है। यही नियंत्रण उसे प्रगति और समृद्धि के मार्ग तक ले जाती है।

शिक्षा की इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ही सरकार ने सभी के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में शिक्षा का अधिकार निहित है। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया । यह अधिनियम सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का ,प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्धन परिवारों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित समान अवसर प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षा तथा बालकों की आवश्यकता से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।सरकार द्वारा स्कूलों में अनेक सुविधाएं दी जाती है, जैसे पाठ्य पुस्तकें, विद्यालयी गणवेश, मध्यान्ह भोजन, इत्यादि। बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें दूध व फल भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शौचालय, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था, तथा बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाती है। शिक्षा से संबंधित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती है। इसके साथ

विद्यालय में खेलकूद जैसी गतिविधियां भी करवाई जाती है। ताकि बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास हो सके। कई सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा भी है। शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है।

सरकार द्वारा दिए जाने वाले साधनों का उपयोग छात्र शिक्षा में कितना कर पा रहे हैं? विद्यालय वातावरण छात्रों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करते हैं या नहीं? विद्यालय स्वयं सरकारी सुविधाओं का पालन करते हैं या नहीं? यह सुविधा क्या बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायक है, क्या बच्चा शिक्षा का वह स्तर प्राप्त कर रहा है जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जांचने के लिए शोधार्थी ने इस विषय का चयन किया है।

शोध समस्या:- ग्रामीण तथा शहरी छात्र-छात्राओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध के उद्देश्य:-

1. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं के स्तर का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएं:-

1. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों को दी गई शैक्षिक सुविधाओं में सार्थक अंतर नहीं है 1
2. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि में सार्थक अंतर नहीं है

शोध प्रविधियां:-

विधि:-प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

न्यादर्श:- प्रस्तुत शोध में साधारण यादृच्छिक विधि का चयन किया गया है।

उपकरण:-प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा स्वयं निर्मित उपकरण (प्रश्नावली) का प्रयोग किया गया है।

प्रदत संचयन :- शोधार्थी ने शोध कार्य के लिए जयपुर शहर तथा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया है। इसमें जयपुर शहर के 2 सरकारी विद्यालय तथा जयपुर ग्रामीण के 2 सरकारी विद्यालय का चयन किया गया है जिसमें छात्र तथा छात्राएं दोनों शामिल है। न्यादर्श के रूप में 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। विद्यार्थियों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता ज्ञात करने के लिए 30 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली वितरित करने से पूर्व सभी विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी:- प्रस्तुत शोध को संपन्न करने हेतु प्रतिशत, मध्यमान, टी-परीक्षण, ग्राफीय प्रदर्शन का प्रयोग किया गया है।

शोध का परिसीमन:- प्रस्तुत शोध में उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं को ही शोध कार्य हेतु चुना गया है।

दत्त विश्लेषण एवं व्याख्या:-

परिकल्पना :-1 ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों को दी गई शैक्षिक सुविधाओं में सार्थक अंतर नहीं है।

क्र.स.	समूह	क्षेत्र	न्यादर्श	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मूल्य	सार्थकता स्तर (.05)
1	शैक्षिक सुविधायें	शहरी	50	103.18	6.45	1.89<1.98	स्वीकृत
.							
2		ग्रामीण	50	99.15	5.78		

उपरोक्त तालिका के आधार पर टी का मान 1.89 प्राप्त हुआ है। सार्थकता का स्तर 0.05 पर सारणी में टी का मान 1.98 है। चूंकि गणना से प्राप्त मान 1.89 है जो कि सारणी के मान 1.98 से कम है इसलिए शोधार्थी द्वारा ली गई शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना:-2 ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि में सार्थक अंतर नहीं है।

क्र.स.	समूह	क्षेत्र	न्यादर्श	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मूल्य	सार्थकता स्तर (.05)
1	शिक्षा के प्रति रुचि	शहरी	50	75.12	6.78	2.04>1.98	अस्वीकृत
2		ग्रामीण	50	85.63	4.96		

उपरोक्त तालिका के आधार पर टी मूल्य 2.04 प्राप्त हुआ है। सार्थकता का स्तर 0.05 पर सारणी में टी का मान 1.98 है। चूंकि गणना से प्राप्त मान 2.04 सारणी के मान 1.98 से अधिक है इसलिए शोधार्थी द्वारा ली गई शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम की विवेचना:-प्रस्तुत शोध के परिणाम इस प्रकार है।

1. शोध के आधार पर पाया गया है कि ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं में अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी स्तर पर सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाने में विद्यालयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। सभी विद्यालयों को समान रूप से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है ।

2. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय की छात्र-छात्राओं की शिक्षाओं के प्रति रुचि में अंतर पाया गया है । चूंकि सरकार सुविधाएं तो देती है परंतु छात्रों में रुचि कम दिखाई दी गई इसका कारण एक ओर तो शिक्षक भी हो सकते हैं जो छात्रों में रुचि जागृत करने में असमर्थ रहे हैं। दूसरा, पारिवारिक माहौल भी बच्चों को प्रभावित करता है ।

शैक्षिक निहितार्थ:- प्रस्तुत शोध के परिणाम स्वरुप यह कह सकते हैं कि ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं तो है परंतु दोनों ही स्थान के छात्रों की शिक्षा के प्रति रुचि में अंतर है। शहरी छात्रों की रुचि ग्रामीण छात्रों से अधिक है। ग्रामीण छात्रों की शिक्षा के प्रति रुचि कम होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे -विद्यालय का घर से दूर होना, आवागमन की सुविधाओं का अभाव होना, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कटौती होने से ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर तो उपलब्ध है परंतु उनका उपयोग कम ही हो पाता है, शहरों में अधिकतर घरों में भी इंटरनेट की सुविधाएं हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम घरों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस कारण छात्र शिक्षा में उपयोग होने वाली तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे शिक्षण का स्तर नीरस हो जाता है तथा उनकी शिक्षा के प्रति रुचि भी कम हो जाती है। अतः इस और अभी ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची:-

1. अग्रवाल, नीतू "शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी"।
2. बाबेल, बसंती लाल उपभोक्ता संरक्षण कानून, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ।
3. बागड़ी देवेंद्र "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" ।
4. बक्शी, बी.के.(2008): उपभोक्ता अर्थशास्त्र: मेरठ, सूर्या पब्लिकेशंस ।
5. ॉ.भटनागर राजेंद्र मोहन "लोकतंत्र और शिक्षा" माया प्रकाशन मंदिर त्रिपोलिया बाजार, जयपुर ।
6. ॉ.कपिल एच.के. "सांख्यिकी के मूल तत्व" विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
7. पाठक पी. ी. "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं" आर.ई.आई.टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज दयालबाग,आगरा।
8. ॉ.सिंह.एच.पी. "समकालीन भारत और शिक्षा" राधा प्रकाशन मंदिर।

Webliography

1. Https://leverageedu.com
2. Https://www.sarthaks.com
3. Https://hi.wikipedia.org>wiki
4. Https://jaypeedigital.com/eReader